PUCL | लोक स्वातंत्र्य संगठन
छत्तीसगढ़ प्रदेश इकाई

संपर्क:
cgpucl@gmail.com

अध्यक्ष - जुनस तिर्की
महासचिव - कलादास डेहरिया

दिनांक: 16 सितंबर, 2026

झीरम घाटी फैसला: 10 आदिवासियों को मृत्युदंड न्याय की विफलता और बस्तर में शांति प्रयासों को गहरा आघात – पीयूसीएल

मुख्य साजिशकर्ता गिरफ्त से बाहर, 13 साल जेल भुगत चुके हाशिए के ग्रामीणों को फांसी की सजा असंगत और प्रतिशोधात्मक ---- शीर्ष माओवादियों के लिए पुनर्वास और आत्मसमर्पण नीति, पर कानूनी मदद से वंचित निर्धन आदिवासियों के लिए मृत्युदंड?

पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (PUCL), छत्तीसगढ़ झीरम घाटी मामले में 10 व्यक्तियों को मृत्युदंड दिए जाने के न्यायिक निर्णय पर गंभीर चिंता और असहमति व्यक्त करता है। संगठन इसे न केवल न्याय के संवैधानिक सिद्धांतों के विपरीत मानता है, बल्कि बस्तर में स्थायी शांति और विश्वास बहाली की प्रक्रिया के लिए एक बड़ा झटका करार देता है।

वर्ष 2013 का झीरम घाटी हमला, जिसमें 29 कांग्रेस नेताओं, कार्यकर्ताओं और सुरक्षाकर्मियों की निर्मम हत्या हुई, एक वीभत्स और अत्यंत निंदनीय घटना थी। PUCL हर प्रकार की राजनीतिक हिंसा की स्पष्ट निंदा करता है। किंतु न्याय कभी प्रतिशोध का रूप नहीं ले सकता। भारतीय संविधान में निहित जीवन और मानवीय गरिमा के अधिकार (अनुच्छेद 21) के आलोक में मृत्युदंड एक बर्बर, अपरिवर्तनीय और अप्रभावी दंड व्यवस्था है।

कानूनी विसंगतियां और गंभीर प्रश्न

साजिशकर्ता बनाम प्यादे: स्वयं अभियोजन पक्ष का यह आरोप नहीं है कि इन 10 व्यक्तियों ने हमले की साजिश रची,*योजना बनाई या नेतृत्व किया। मुख्य योजनाकार शीर्ष माओवादी

नेता अब तक मुकदमे की जद से बाहर हैं। नेतृत्व के बजाय निचले स्तर पर फंसे वंचित ग्रामीणों को फांसी देना न्याय के 'व्यक्तिगत जिम्मेदारी के सिद्धांत' (Individual Criminal Responsibility) के खिलाफ है।

पूर्व-दंड और प्रक्रियागत अन्याय: ये 10 अभियुक्त गरीब आदिवासी पृष्ठभूमि से आते हैं और सजा सुनाए जाने से पूर्व ही 13 वर्षों तक विचाराधीन कैदी के रूप में जेल काट चुके हैं। सुनवाई के दौरान ही एक विचाराधीन बंदी की हिरासत में मृत्यु हो चुकी है। 13 वर्षों का विलंब अपने आप में क्रूर और अमानवीय है।

दबाव और भय की वास्तविकता: सलवा जुडूम के बाद से बस्तर का आम ग्रामीण सशस्त्र बलों और माओवादियों के बीच पिसता रहा है। बंदूक की नोक पर उत्पन्न दबाव को नजरअंदाज कर सीधे मृत्युदंड देना संघर्ष क्षेत्र की सामाजिक-भौगोलिक सच्चाई को नकारना है।

गरीबी और मृत्युदंड का प्रत्यक्ष संबंध: नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, दिल्ली के प्रोजेक्ट 39A की Death Penalty India Report के अनुसार, मृत्युदंड पाने वाले 74.1% कैदी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से होते हैं। उचित कानूनी प्रतिनिधित्व के अभाव में हाशिए के लोग ही ऐसी अधिकतम सजाओं का शिकार बनते हैं।

नीतिगत अंतर्विरोध: एक तरफ सरकार संघर्ष समाप्ति के नाम पर हथियार उठाने वाले शीर्ष कैडरों के लिए आत्मसमर्पण और आकर्षक पुनर्वास पैकेज देती है, वहीं दूसरी तरफ वर्षों से निर्दोष होने का दावा कर रहे गरीब आदिवासियों के लिए फांसी की मांग करती है।

PUCL छत्तीसगढ़ की मांगें:

- मृत्युदंड की सजा को कम किया जाए और प्रत्येक अभियुक्त की व्यक्तिगत भूमिका, जिम्मेदारी तथा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मामले की न्यायिक समीक्षा की जाए।

- सरकार संघर्ष, दबाव, जबरदस्ती और अभाव की उन परिस्थितियों का समाधान करे, जिनके कारण लोग सशस्त्र संगठनों के प्रभाव में आने या उनके साथ जुड़ने के लिए विवश होते हैं।
- दंडात्मक कार्रवाइयों के बजाय बस्तर में शांति के लिए संवाद और पुनर्स्थापनात्मक न्याय पर आधारित दृष्टिकोण को पुनः केंद्र में लाया जाए–ऐसा दृष्टिकोण जिसमें गरीब और हाशिए पर खड़े लोगों पर असमान रूप से दंड का बोझ न पड़े।

झीरम घाटी के पीड़ितों को न्याय अवश्य मिलना चाहिये, पर वह बस्तर के वंचित और हाशिए पर खड़े लोगों के साथ एक और अन्याय करके सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है।

जारीकर्ता

जुनास तिर्की, अध्यक्ष, PUCL छत्तीसगढ़ (7855959027)

कलादास देहरिया, PUCL छत्तीसगढ़ (7898133131)